न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री रणछोड़ लाल (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन सं. 1800/2015
अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. दलीपसिंह 2. गजेसिंह पि. रामसिंह 3. गुलाबकंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपुत निवासी अम्बेडकर नगर, चौहटन तहसील चौहटन		1. तहसीलदार चौहटन 2. मंगलाराम 3. गोरधनराम पि. शिवाराम जाति मेघवाल 4. भंवरलाल पुत्र चनणाराम 5. केसराराम पुत्र भींयाराम जाति सुथार निवासी अम्बेडकर नगर, चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – श्री मोहनसिंह सोढ़ा
विप्रार्थीगण – एकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.03.2026

प्रार्थीगण के आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 2 से 5 के खातेदारी की भूमि मौजा जंभेश्वर नगर, पटवार हल्का चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 990/556 रकबा 154.06 बीघा का आया हुआ है जिस पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 2 से 5 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खातेदारी खेत में प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 की रहवासी ढाणी आदि बनी हुई है, प्रार्थीगण के पूर्वजों को उक्त भूमि मूल खसरा नम्बर 623 में से राज्य सरकार आंवटित कर कब्जा सुपुर्द किया गया था वहां पर प्रार्थीगण का निर्बाध कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा पानी का टांका आदि बना हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा कुछ भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. 2 से 5 को कर दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 2 से 5 के [illegible] राजस्व जमाबंदी में रकबा 154.06 बीघा अंकित है जो सही अंकित किया गया है परन्तु जब लट्ठा ट्रेस में प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 की भूमि अलग से तरमीम की गई तब राजस्व कर्मचारियों ने मौके की जांच व नाप किये बिना ही गलत रूप से अपनी मनमर्जी से तरमीम कर दी गई जो तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

र्थीगण व विप्रार्थी सं. 2 से 5 के मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा से कम कर दी गई है जबकि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 का मौके पर कब्जा काश्त 154.06 बीघा भूमि पर ही है तथा राजस्व जमाबंदी में भी रकबा 154.06 बीघा अंकित है परन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व जमांबदी में अंकित रकबा से कम कर दी गई है। जमाबंदी में भी रकबा 154.06 बीघा अंकित है परन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते वक्त राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही गलत रूप से वास्तविक रकबे से कम भूमि की तरमीम कर दी गई है, जिस कारण मौके के कब्जा काश्त, राजस्व जमाबंदी व लट्ठा ट्रेस की तरमीम के रकबे में भारी अन्तर है इसलिये प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 2 से 5 मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबे के अनुसार ही अपने खातेदारी की भूमि लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करवाने का अधिकारी होने से तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु यह तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार चौहटन से प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी सं. 2 से 5 के नोटिस तामिल रिपोर्ट प्राप्त बावजूद विप्रार्थी सं. 2 से 5 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट तहसीलदार चौहटन के पत्र क्रमांक भू.अ./2026/413 दिनांक 25.02.2026 प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार चौहटन से प्राप्त तरमीम दुरस्ती मौका रिपोर्ट परिशिष्ठ 'ब' अनुसार किये जाने हेतु सहमति देते हुए मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया।

हमने वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं तहसीलदार चौहटन से प्राप्त तरमीम दुरूस्ती मौका रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु प्रार्थीगण सहमत है। तहसीलदार चौहटन द्वारा अपनी रिपोर्ट में परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत् अनुशंषा की गई है। जिसके आधार पर साबित होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा जंभेश्वर नगर, पटवार हल्का चौहटन, तहसील चौहटन वर्तमान खसरा संख्या 990/556 भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट में सलंग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:17 IST
Reason: SelfAttested